



Indian Journal of Commerce, Business & Management (IJCBM)

An International Peer Reviewed, Refereed, Indexed, Quarterly Research journal of Commerce, Business & Management

ISSN : 3108-057X (Online)

3108-1282 (Print)

IIFS Impact Factor : 5.625

Vol.-2; Issue-3 (July-Sept.) 2026

Page No.- 141-150

©2026 IJCBM

<https://ijcbm.gyanvividha.com>

Author's :

डॉ. तीर्थराज सिंह

सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग,
जगदीश सरन हिन्दू स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अमरोहा, उत्तर प्रदेश-244221.

Corresponding Author :

डॉ. तीर्थराज सिंह

सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग,
जगदीश सरन हिन्दू स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अमरोहा, उत्तर प्रदेश-244221.

गांधी एवं अम्बेडकर के आर्थिक चिंतन में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास : विकसित भारत @2047 के संदर्भ में एक तुलनात्मक अध्ययन

सारांश (Abstract) : महात्मा गांधी एवं डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर आधुनिक भारत के दो ऐसे महान सुधारक हैं, जिनके चिंतन का केंद्रीय उद्देश्य एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और मानवीय समाज की स्थापना था। यद्यपि दोनों के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोणों में महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है, तथापि सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के उत्थान, आर्थिक असमानता को कम करने तथा व्यक्ति की गरिमा की स्थापना के स्तर पर उनके चिंतन में महत्वपूर्ण समानताएँ विद्यमान हैं। गांधी ने स्वदेशी, ग्राम स्वराज, विकेंद्रीकरण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, ट्रस्टीशिप, श्रम की गरिमा और सर्वोदय को आर्थिक विकास का आधार माना। दूसरी ओर, अम्बेडकर ने आर्थिक लोकतंत्र, औद्योगीकरण, श्रमिक अधिकार, राज्य की सक्रिय भूमिका, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर तथा संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण पर बल दिया। गांधी के आर्थिक विचारों में नैतिकता और स्थानीय आत्मनिर्भरता केंद्रीय तत्व थे, जबकि अम्बेडकर का दृष्टिकोण संस्थागत अधिकारों और राज्य-समर्थित सामाजिक-आर्थिक न्याय पर अधिक केंद्रित था। वर्तमान भारत में समावेशी विकास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक असमानता, ग्रामीण आजीविका और सामाजिक न्याय जैसी चुनौतियाँ दोनों विचारकों के चिंतन की प्रासंगिकता को पुनः स्थापित करती हैं। वर्ष 2025 के PLFS के अनुसार नियमित वेतन/सैलरी रोजगार में कार्यरत व्यक्तियों का अनुपात 23.6% रहा, जबकि शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी दर 6.5% रही। प्रस्तुत शोध-पत्र में दोनों विचारकों के आर्थिक चिंतन का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। साथ ही आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार, श्रम, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, उद्यमिता और समावेशी विकास की चुनौतियों के

संदर्भ में उनके विचारों की प्रासंगिकता का परीक्षण किया गया है। अध्ययन यह प्रतिपादित करता है कि गांधी की स्थानीय आत्मनिर्भरता एवं नैतिक अर्थव्यवस्था तथा अम्बेडकर की संस्थागत समानता, औद्योगीकरण एवं आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणाओं का समन्वय भारत को अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण विकास की दिशा प्रदान कर सकता है। यह दृष्टिकोण विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को केवल उच्च आर्थिक वृद्धि के बजाय सामाजिक न्याय, गुणवत्तापूर्ण रोजगार, समान अवसर और मानव गरिमा से जोड़ने में सहायक हो सकता है।

मुख्य शब्द : महात्मा गांधी, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, स्वदेशी, ट्रस्टीशिप, आर्थिक लोकतंत्र, विकसित भारत @2047।

1. प्रस्तावना : भारत के आधुनिक इतिहास में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया में अनेक चुनौतियाँ विद्यमान रही हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था गरीबी, बेरोजगारी, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, परंपरागत उद्योगों के पतन तथा आर्थिक शोषण जैसी समस्याओं से प्रभावित थी। दूसरी ओर, भारतीय समाज में जातिगत विषमता, अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्करण और अवसरों की असमानता ने समाज के बड़े वर्ग को शिक्षा, रोजगार, संपत्ति तथा सम्मानजनक जीवन से वंचित रखा। ऐसी परिस्थितियों में भारत के पुनर्निर्माण के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता भी आवश्यक थी। इसी ऐतिहासिक संदर्भ में महात्मा गांधी एवं डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर दो ऐसे महान सुधारक के रूप में सामने आते हैं, जिनका व्यापक उद्देश्य एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और मानवीय समाज की स्थापना था।

महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता को केवल विदेशी शासन से मुक्ति तक सीमित नहीं माना, बल्कि इसे व्यक्ति एवं समुदाय की आत्मनिर्भरता तथा नैतिक पुनर्निर्माण से जोड़ा। उनके आर्थिक चिंतन में स्वदेशी, ग्राम स्वराज, विकेंद्रीकरण, ग्रामोद्योग, खादी, श्रम की गरिमा, ट्रस्टीशिप और सर्वोदय प्रमुख अवधारणाएँ हैं। गांधी ऐसी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे जिसमें आर्थिक गतिविधियों का उद्देश्य केवल उत्पादन और लाभ में वृद्धि न होकर मानव कल्याण हो। वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, स्थानीय संसाधनों एवं श्रम के उपयोग तथा रोजगार के व्यापक अवसरों के पक्षधर थे। उनकी ट्रस्टीशिप की अवधारणा संपत्ति के सामाजिक दायित्व तथा आर्थिक संसाधनों के नैतिक उपयोग पर बल देती है, जिसे आधुनिक संदर्भ में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिक व्यवसाय और सरोकारधारकों पर केंद्रित प्रबंधन से जोड़ा जा सकता है।

इसके विपरीत, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का आर्थिक चिंतन सामाजिक संरचना और आर्थिक अवसरों के परस्पर संबंध पर आधारित था। प्रशिक्षित अर्थशास्त्री होने के कारण उन्होंने मुद्रा, सार्वजनिक वित्त, कृषि, औद्योगीकरण, श्रम तथा आर्थिक विकास जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण कार्य किया। अम्बेडकर के लिए सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय एक-दूसरे से अविभाज्य थे। उनका मानना था कि जातिगत एवं सामाजिक असमानता व्यक्ति के आर्थिक अवसरों को भी प्रभावित करती है। इसलिए राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के साथ जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा, औद्योगीकरण, श्रमिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर तथा राज्य की सक्रिय भूमिका को आर्थिक सशक्तीकरण के महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा।

गांधी और अम्बेडकर के विचारों में अनेक महत्वपूर्ण अंतर थे। गांधी का आर्थिक मॉडल ग्राम-केंद्रित, विकेंद्रीकृत और नैतिक अर्थव्यवस्था पर आधारित था, जबकि अम्बेडकर आधुनिक औद्योगीकरण और संस्थागत सुधारों को सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के लिए आवश्यक मानते थे। गांधी आर्थिक असमानता के समाधान में ट्रस्टीशिप एवं नैतिक परिवर्तन को महत्व देते थे, जबकि अम्बेडकर संवैधानिक अधिकारों, कानूनी संरक्षण और राज्य की सक्रिय भूमिका के माध्यम से संरचनात्मक असमानता को समाप्त करना चाहते थे। फिर भी दोनों के चिंतन में मानव

गरिमा, श्रम के सम्मान, सामाजिक न्याय, आर्थिक अवसर और वंचित वर्गों के कल्याण जैसे व्यापक उद्देश्य महत्वपूर्ण समानता प्रस्तुत करते हैं। इसी कारण दोनों को केवल विरोधी विचारधाराओं के प्रतिनिधि के रूप में देखना उनके योगदान की व्यापकता को सीमित कर सकता है।

इक्कीसवीं शताब्दी के भारत में इन विचारों की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। आर्थिक विकास के साथ रोजगार की गुणवत्ता, आय एवं अवसरों की असमानता, ग्रामीण-शहरी अंतर, अनौपचारिक रोजगार, कौशल-असंगति और सामाजिक सुरक्षा जैसी चुनौतियाँ अभी भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे समय में गांधी की स्थानीय आत्मनिर्भरता, ग्रामीण उद्यमिता और विकेंद्रीकरण की अवधारणाएँ तथा अम्बेडकर की शिक्षा, कौशल, औद्योगीकरण, श्रमिक अधिकार और आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणाएँ परस्पर पूरक दृष्टिकोण प्रदान कर सकती हैं।

विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल उच्च GDP वृद्धि पर्याप्त नहीं है। विकसित भारत की वास्तविक अवधारणा में समावेशी विकास, गुणवत्तापूर्ण रोजगार, समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा, उद्यमिता और मानव गरिमा का समावेश आवश्यक है। इस संदर्भ में गांधी की आत्मनिर्भर एवं नैतिक अर्थव्यवस्था और अम्बेडकर के अधिकार-आधारित एवं संस्थागत आर्थिक लोकतंत्र का समन्वय एक संतुलित विकास मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत अध्ययन इसी दृष्टिकोण से दोनों विचारकों के आर्थिक चिंतन का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और विकसित भारत @2047 के लिए उनकी समकालीन प्रासंगिकता का अध्ययन करता है।

2. संबंधित साहित्य की समीक्षा : महात्मा गांधी और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के आर्थिक चिंतन पर उपलब्ध साहित्य व्यापक, बहुआयामी तथा अंतर्विषयी है। दोनों विचारकों के आर्थिक विचारों का अध्ययन केवल अर्थशास्त्र के संदर्भ में नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, राजनीतिक लोकतंत्र, श्रम-अधिकार, ग्रामीण विकास, औद्योगीकरण, शिक्षा, मानव गरिमा तथा समावेशी विकास के संदर्भ में भी किया गया है। उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट होता है कि गांधी और अम्बेडकर के आर्थिक चिंतन का मूल उद्देश्य आर्थिक व्यवस्था को मानवीय, न्यायपूर्ण तथा समाज के वंचित वर्गों के लिए उपयोगी बनाना था, यद्यपि दोनों के साधन, प्राथमिकताएँ और विकास-दृष्टिकोण अलग-अलग थे।

Dasgupta (1996) ने गांधी के आर्थिक चिंतन का विस्तृत विश्लेषण करते हुए बताया कि गांधी के लिए स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और ग्रामीण समाज की आर्थिक क्षमता से भी संबंधित था। उन्होंने गांधी के औद्योगीकरण, तकनीक, उत्पादन के पैमाने, असमानता, ट्रस्टीशिप, श्रम तथा शिक्षा संबंधी विचारों को एक व्यापक आर्थिक दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया है।

Ishii (2001) ने गांधी के सामाजिक-आर्थिक विचारों को वैकल्पिक विकास की आधारभूमि के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार गांधी का स्वदेशी, ट्रस्टीशिप और आदर्श ग्राम-व्यवस्था संबंधी चिंतन आधुनिक विकास मॉडल की आलोचना करता है तथा एक ऐसे विकास की कल्पना करता है जिसमें स्थानीय समुदाय, आत्मनिर्भरता और सामाजिक उत्तरदायित्व को प्राथमिकता प्राप्त हो। इस अध्ययन का महत्व इस बात में है कि यह गांधी के आर्थिक विचारों को केवल परंपरावादी या ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक सीमित न रखकर वैकल्पिक विकास-विमर्श से जोड़ता है।

Matera (2012) ने गांधी के आर्थिक चिंतन में अर्थशास्त्र और नैतिकता के संबंध का विश्लेषण किया। उनके अनुसार गांधी के लिए अर्थव्यवस्था और नैतिकता अलग-अलग क्षेत्र नहीं थे। उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रियाओं का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वे मानव कल्याण, सामाजिक न्याय और नैतिक जीवन को किस सीमा तक बढ़ावा देती हैं। Matera यह भी स्पष्ट करते हैं कि गांधी का आर्थिक चिंतन किसी व्यवस्थित आधुनिक आर्थिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत नहीं हुआ, बल्कि उनके भाषणों, लेखों और सामाजिक प्रयोगों में विकसित हुआ। इस दृष्टि से गांधी के आर्थिक विचारों का अध्ययन नैतिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में अधिक उपयुक्त है।

Chakrabarty (2014) ने गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत का विश्लेषण करते हुए इसे व्यवसाय और सामाजिक कल्याण के बीच संबंध स्थापित करने वाले विचार के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अध्ययन में यह दिखाया गया है कि गांधी ट्रस्टीशिप के माध्यम से संपत्ति और व्यवसाय को व्यापक सामाजिक हित से जोड़ना चाहते थे। आधुनिक संदर्भ में इस विचार को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित विमर्श के एक पूर्वगामी विचार के रूप में भी देखा गया है, हालांकि दोनों को पूर्णतः समान नहीं माना जा सकता।

Govindu और Malghan (2016) ने गांधीवादी आर्थिक चिंतन के संदर्भ में जे. सी. कुमारप्पा के योगदान का अध्ययन किया और आर्थिक न्याय, ग्राम अर्थव्यवस्था तथा वैकल्पिक विकास के प्रश्नों को रेखांकित किया। यह साहित्य इस बात को समझने में उपयोगी है कि गांधीवादी आर्थिक चिंतन केवल ग्रामीण रोमांटिकता नहीं था, बल्कि उत्पादन, उपभोग, संसाधन और सामाजिक न्याय के संबंधों पर आधारित वैकल्पिक विकास-दृष्टि भी प्रस्तुत करता है।

Sridevi (Ed., 2020) द्वारा संपादित Ambedkar's Vision of Economic Development for India अम्बेडकर के आर्थिक चिंतन को सामाजिक न्याय और समकालीन आर्थिक विकास से जोड़ता है। इस पुस्तक में व्यापार, सार्वजनिक वित्त, मौद्रिक अर्थशास्त्र, कृषि, शिक्षा और औद्योगीकरण जैसे क्षेत्रों में अम्बेडकर के योगदान का विश्लेषण किया गया है। यह साहित्य विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि यह अम्बेडकर के आर्थिक विचारों को सामाजिक न्याय तथा समकालीन विकास के प्रश्नों से जोड़ता है।

Yoganandham et al. (2025) ने अम्बेडकर के आर्थिक विचारों को सामाजिक-आर्थिक न्याय, समानता, सशक्तीकरण, राष्ट्र-निर्माण और समावेशी विकास से जोड़ते हुए शिक्षा, औद्योगीकरण, श्रम-अधिकार तथा आर्थिक अवसरों को महत्वपूर्ण माना है।

Chawda (2025) ने अम्बेडकर के संवैधानिक चिंतन और सार्वजनिक अर्थशास्त्र के बीच संबंध का अध्ययन किया है तथा उनके विचारों में कल्याणकारी राज्य, सामाजिक न्याय, आर्थिक लोकतंत्र और राजकोषीय न्याय की अंतर्संबद्धता को रेखांकित किया है।

Kumar (2019) ने गांधी एवं अम्बेडकर के आर्थिक विचारों की तुलनात्मक समीक्षा करते हुए गांधी के ग्रामीण आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और ग्रामोद्योग संबंधी विचारों की तुलना अम्बेडकर के औद्योगीकरण, कृषि सुधार, मौद्रिक सुधार तथा सार्वजनिक वित्त संबंधी विचारों से की। उनका अध्ययन यह संकेत करता है कि दोनों की विकास-दृष्टियों में महत्वपूर्ण अंतर होते हुए भी सामाजिक न्याय और मानव कल्याण का व्यापक उद्देश्य साझा था।

Begum और Dehingia (2025) ने गांधी और अम्बेडकर के वैचारिक साम्य तथा संघर्षों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बताया कि गांधी सामाजिक परिवर्तन में नैतिक सुधार और सामाजिक सद्भाव को महत्वपूर्ण मानते थे, जबकि अम्बेडकर संरचनात्मक परिवर्तन, कानूनी अधिकार और जाति-व्यवस्था के उन्मूलन पर अधिक बल देते थे।

Sharvender (2024) ने गांधी और अम्बेडकर की शिक्षा संबंधी अवधारणाओं तथा जाति-सामाजिक संरचना के संदर्भ में उनके दृष्टिकोण की तुलना की। उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि दोनों शिक्षा को परिवर्तन का साधन मानते थे, लेकिन उनके शिक्षा-दर्शन के सामाजिक उद्देश्य और प्राथमिकताएँ अलग थीं।

Daksh और Shubham (2025) ने गांधी और अम्बेडकर के विचारों का लैंगिक असमानता और सामाजिक न्याय के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन किया। उनके अध्ययन में गांधी के नैतिक-सामाजिक परिवर्तन और अम्बेडकर के कानूनी-अधिकार आधारित दृष्टिकोण के बीच अंतर को रेखांकित किया गया है।

Darnal (2023) ने भारतीय संदर्भ में सामाजिक न्याय की अवधारणा को अम्बेडकर के विचारों से जोड़ते हुए समानता, अवसर और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के प्रश्नों को रेखांकित किया है।

3. शोध-अंतराल (Research Gap) : साहित्य की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि गांधी और अम्बेडकर के आर्थिक चिंतन पर पर्याप्त स्वतंत्र अध्ययन उपलब्ध हैं तथा कुछ अध्ययनों में दोनों के सामाजिक और राजनीतिक विचारों की तुलना भी की गई है। किंतु वर्तमान अध्ययन से संबंधित विशिष्ट शोध-अंतराल यह है कि दोनों के आर्थिक चिंतन को सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, रोजगार, श्रम कल्याण, उद्यमिता और विकसित भारत @2047 के व्यापक परिप्रेक्ष्य में एक साथ रखकर विश्लेषित करने वाले अध्ययन सीमित हैं।

अतः प्रस्तुत अध्ययन गांधी के विकेंद्रीकृत, नैतिक एवं मानव-केंद्रित आर्थिक दृष्टिकोण तथा अम्बेडकर के अधिकार-आधारित, औद्योगिक एवं संस्थागत आर्थिक दृष्टिकोण के बीच संभावित पूरकता का अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य यह देखना है कि इन दोनों चिंतन-परंपराओं से समकालीन भारत के लिए ऐसा विकास मॉडल किस प्रकार निर्मित किया जा सकता है जो आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक न्याय, समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और मानव गरिमा को भी सुनिश्चित करे।

4. अध्ययन के उद्देश्य : प्रस्तुत अध्ययन अग्रलिखित उद्देश्यों पर आधारित है-

1. गांधी एवं अम्बेडकर के आर्थिक चिंतन का विश्लेषण करना।
2. गांधी एवं अम्बेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी दृष्टिकोण की तुलना करना।
3. स्वदेशी, ग्राम स्वराज, ट्रस्टीशिप एवं औद्योगीकरण के विचारों का अध्ययन करना।
4. श्रम, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी विचारों का तुलनात्मक विश्लेषण करना।
5. समावेशी विकास के संदर्भ में दोनों विचारकों की प्रासंगिकता का परीक्षण करना।
6. विकसित भारत @2047 के लिए गांधी-अम्बेडकर आधारित नीति-ढाँचा प्रस्तुत करना।

5. शोध-प्रविधि : प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक प्रकृति का है। अध्ययन में मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है। प्रमुख स्रोतों में गांधी एवं अम्बेडकर के मूल लेखन, सरकारी प्रकाशन, PLFS रिपोर्ट, शोध-पुस्तकें, शोध-पत्र एवं संबंधित अकादमिक साहित्य शामिल हैं।

6. गांधी का आर्थिक चिंतन

6.1 स्वदेशी : गांधी के लिए स्वदेशी का अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं था। इसका व्यापक अर्थ स्थानीय उत्पादन, स्थानीय रोजगार और स्थानीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना था। स्वदेशी के माध्यम से गांधी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहते थे। वर्तमान संदर्भ में यह अवधारणा स्थानीय MSMEs, हस्तशिल्प, खादी, ग्रामीण उद्योग और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास से जोड़ी जा सकती है।

6.2 ग्राम स्वराज : गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा आर्थिक एवं राजनीतिक विकेंद्रीकरण पर आधारित थी। आत्मनिर्भर गाँव उनकी विकास-दृष्टि का महत्वपूर्ण आधार था। उनकी कल्पना में गाँव केवल कृषि उत्पादन की इकाई नहीं बल्कि उत्पादन, उपभोग, शिक्षा, सामाजिक सहयोग और स्थानीय शासन की समेकित इकाई था। आधुनिक समय में ग्राम स्वराज की अवधारणा को ग्रामीण उद्यमिता, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्थानीय मूल्य श्रृंखलाएँ, और ग्रामीण MSMEs से जोड़ा जा सकता है।

6.3 ट्रस्टीशिप : गांधी ने आर्थिक असमानता को हिंसक संघर्ष के बजाय नैतिक परिवर्तन के माध्यम से कम करने का प्रयास किया। ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुसार संपत्ति का स्वामी अपनी संपत्ति का उपयोग केवल निजी हित में न करके सामाजिक हित में भी करे। आधुनिक संदर्भ में ट्रस्टीशिप को:

Trusteeship → CSR → Ethical Business → Stakeholder Welfare

के रूप में पुनर्व्याख्यायित किया जा सकता है।

6.4 श्रम की गरिमा : गांधी के लिए श्रम केवल आय प्राप्त करने का साधन नहीं था बल्कि व्यक्ति के नैतिक एवं सामाजिक विकास का माध्यम भी था। उनका श्रम संबंधी दृष्टिकोण आधुनिक श्रम की गरिमा, सम्मानजनक कार्य तथा समावेशी रोजगार की अवधारणाओं से जोड़ा जा सकता है।

7. डॉ. अम्बेडकर का आर्थिक चिंतन

7.1 आर्थिक लोकतंत्र : अम्बेडकर का मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र आर्थिक लोकतंत्र के बिना अधूरा है। यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से अत्यधिक निर्भर है, तो उसके राजनीतिक अधिकारों की वास्तविक उपयोगिता सीमित हो सकती है। States and Minorities में उन्होंने आर्थिक संरचना और व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध पर गंभीर विचार प्रस्तुत किए।

7.2 औद्योगीकरण : अम्बेडकर कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था की सीमाओं को समझते थे। उनका मानना था कि भारत में अत्यधिक जनसंख्या का कृषि पर निर्भर रहना उत्पादकता एवं रोजगार दोनों के लिए चुनौती पैदा कर सकता है। इसलिए वे औद्योगीकरण और आर्थिक विविधीकरण को महत्वपूर्ण मानते थे।

7.3 श्रमिक अधिकार : अम्बेडकर ने श्रमिकों को केवल उत्पादन का साधन नहीं बल्कि अधिकार-संपन्न नागरिक के रूप में देखा। उनके चिंतन में मजदूरी, कार्य-स्थितियाँ, श्रमिक संगठन और सामाजिक सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय थे। यह दृष्टिकोण आज के श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मानजनक कार्य फ्रेमवर्क से जोड़ा जा सकता है।

7.4 शिक्षा एवं मानव पूंजी : अम्बेडकर के लिए शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक सशक्तीकरण का महत्वपूर्ण साधन थी। उनकी प्रसिद्ध त्रयी—शिक्षित बनो → संगठित हो → संघर्ष करो—को आधुनिक संदर्भ में:

Education → Skill → Employment → Economic Empowerment के विकास-चक्र से जोड़ा जा सकता है।

8. गांधी एवं अम्बेडकर का तुलनात्मक आर्थिक विश्लेषण

तालिका 8.1 गांधी एवं अम्बेडकर का तुलनात्मक आर्थिक विश्लेषण

आधार	महात्मा गांधी	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
विकास की इकाई	गाँव एवं समुदाय	व्यक्ति एवं संस्थाएँ
अर्थव्यवस्था	विकेंद्रीकृत	आधुनिक एवं औद्योगिक
प्रमुख अवधारणा	ग्राम स्वराज	आर्थिक लोकतंत्र
संपत्ति	ट्रस्टीशिप	संस्थागत नियंत्रण एवं न्यायपूर्ण वितरण
रोजगार	श्रम-प्रधान उत्पादन	औद्योगीकरण एवं रोजगार विविधीकरण
उद्योग	सीमित एवं मानवीय तकनीक	आधुनिक औद्योगीकरण
श्रम	श्रम की गरिमा	श्रमिक अधिकार
सामाजिक न्याय	सर्वोदय	समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व
राज्य की भूमिका	सीमित/विकेंद्रीकृत	सक्रिय एवं कल्याणकारी
व्यवसाय	नैतिक एवं सामाजिक उत्तरदायी	अधिकार एवं सामाजिक न्याय उन्मुख
अंतिम लक्ष्य	सर्वजन हिताय	सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र

स्रोत: लेखक

9. आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था एवं गांधी व अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता : भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से रूपांतरित होती हुई अर्थव्यवस्था है। एक ओर डिजिटल अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र, औद्योगीकरण और तकनीकी

विकास तेजी से आगे बढ़ रहे हैं; दूसरी ओर रोजगार की गुणवत्ता, ग्रामीण रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और असमानता जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। PLFS 2025 के अनुसार माध्यमिक एवं उससे ऊपर शिक्षित व्यक्तियों में सामान्य स्थिति के आधार पर बेरोजगारी दर 6.5 प्रतिशत रही। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा का विस्तार अपने आप पर्याप्त रोजगार सुनिश्चित नहीं करता; शिक्षा, कौशल और रोजगार के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। यहाँ गांधी और अम्बेडकर के विचारों का संयुक्त उपयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। गांधी अपने आर्थिक विचारों में स्थानीय उत्पादन, ग्रामीण उद्यमिता, स्वदेशी एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते हैं तथा अम्बेडकर ने अपने आर्थिक विचारों में शिक्षा, कौशल, औद्योगीकरण, सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक अधिकारों पर जोर दिया है।

यदि गांधी एवं अम्बेडकर के आर्थिक विचारों का एकीकरण कर दिया जाए, तो एक ऐसा प्रतिरूप (मॉडल) विकसित हो सकता है, जिसके द्वारा स्थानीय क्षमता निर्माण, कौशल एवं शिक्षा, उद्यमिता एवं औद्योगीकरण, गुणवत्तापूर्ण रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण, समावेशी विकास एवं आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर 2047 में भारत के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

10. रोजगार एवं श्रम के संदर्भ में समकालीन प्रासंगिकता : वर्तमान में भारत में रोजगार की चुनौती केवल बेरोजगारी की दर तक सीमित नहीं है। रोजगार की गुणवत्ता, सामाजिक सुरक्षा, आय की स्थिरता, कौशल और उत्पादकता भी महत्वपूर्ण हैं। PLFS 2025 के आधिकारिक आँकड़े रोजगार बाजार में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाते हैं। राज्यों के बीच भी बेरोजगारी दर में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है। इस संदर्भ में गांधीवादी दृष्टिकोण ग्रामीण एवं स्थानीय रोजगार के विस्तार में उपयोगी हो सकता है, जबकि अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण औद्योगिक रोजगार, श्रमिक अधिकार और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने में मार्गदर्शक हो सकता है।

11. वाणिज्य एवं प्रबंधन के संदर्भ में प्रासंगिकता : गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आधुनिक व्यावसायिक नैतिकता के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। उनका मानना था कि व्यवसाय का उद्देश्य केवल अधिकतम लाभ कमाना नहीं होना चाहिए बल्कि लाभ के साथ लोगों की सेवा एवं पर्यावरण संरक्षण भी होना चाहिए। गांधीवादी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को वर्तमान निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़ा जा सकता है। जिसके अनुसार निगमीय संस्थाओं को स्थानीय समुदायों के शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल एवं उद्यमिता विकास में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

अम्बेडकर का समान अवसर और सामाजिक न्याय संबंधी दृष्टिकोण आधुनिक मानव संसाधन प्रबंधन में विविधता (Diversity), समता एवं समावेश (Equity and Inclusion) (DEI) के लिए उपयोगी है। गांधी के स्थानीय उत्पादन और अम्बेडकर के आर्थिक सशक्तीकरण को सामाजिक उद्यमिता के माध्यम से एकीकृत किया जा सकता है।

12. गांधी-अम्बेडकर समन्वित विकास मॉडल : महात्मा गांधी अपने विचारों में स्वदेशी, ग्राम स्वराज, स्थानीय उत्पादन, ग्रामीण उद्यमिता, एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते हैं, वहीं डॉ. बी. आर. अम्बेडकर शिक्षा, कौशल, औद्योगीकरण, श्रमिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, एवं आर्थिक लोकतंत्र की बात अपने विचारों में करते हैं। यदि गांधी एवं अम्बेडकर के इन विचारों को एकीकृत कर दिया जाए, दोनों के समन्वय से समावेशी एवं न्यायपूर्ण विकास, मानव-केंद्रित आर्थिक विकास, एवं विकसित भारत @2047 के ध्येय को प्राप्त करने में बहुत सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

13. प्रमुख निष्कर्ष : अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं-

1. गांधी एवं अम्बेडकर के आर्थिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण अंतर होते हुए भी उनका अंतिम उद्देश्य सामाजिक कल्याण था।

2. गांधी ने आर्थिक विकास में नैतिकता और स्थानीय आत्मनिर्भरता को महत्व दिया।
 3. अम्बेडकर ने आर्थिक लोकतंत्र एवं संस्थागत समानता को केंद्रीय स्थान दिया।
 4. गांधी का ट्रस्टीशिप आधुनिक निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता के लिए उपयोगी वैचारिक आधार प्रदान करती है।
 5. अम्बेडकर का आर्थिक लोकतंत्र आधुनिक सामाजिक सुरक्षा एवं समावेशी नीतियों के लिए प्रासंगिक है।
 6. गांधीवादी ग्रामोद्योग ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा दे सकता है।
 7. अम्बेडकरवादी औद्योगीकरण रोजगार के संरचनात्मक विविधीकरण में सहायक हो सकता है।
 8. दोनों विचारों का समन्वय रोजगारपरक एवं न्यायपूर्ण विकास मॉडल को मजबूत कर सकता है।
 9. विकसित भारत @2047 के लिए केवल जी.डी.पी. वृद्धि पर्याप्त नहीं है, सामाजिक न्याय और गुणवत्तापूर्ण रोजगार भी आवश्यक हैं।
 10. आर्थिक विकास की अंतिम कसौटी मानव गरिमा और अवसरों की समानता होनी चाहिए।
14. नीतिगत सुझाव : विभिन्न नीतिगत सुझाव इस प्रकार हैं-
- i. ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, खादी, कृषि-आधारित उद्योग और ग्रामीण MSMEs को आधुनिक तकनीक, वित्त एवं बाजार से जोड़ा जाना चाहिए।
 - ii. शिक्षा को रोजगार बाजार की आवश्यकताओं से जोड़ते हुए कौशल-उन्मुख पाठ्यचर्चा विकसित किया जाना चाहिए।
 - iii. ऐसे उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो लाभ के साथ सामाजिक समस्याओं का समाधान भी करें।
 - iv. अनौपचारिक एवं गिग अर्थव्यवस्था के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार आवश्यक है।
 - v. CSR को केवल बड़े प्रोजेक्ट्स तक सीमित न रखकर स्थानीय समुदायों के शिक्षा, कौशल और उद्यमिता विकास से जोड़ा जाना चाहिए।
 - vi. संगठनों में जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र एवं सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव कम करने तथा समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र मजबूत किए जाने चाहिए।
 - vii. स्वदेशी को वैश्विक आर्थिक अलगाव के रूप में नहीं बल्कि स्थानीय क्षमता निर्माण एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा के संतुलन के रूप में समझा जाना चाहिए।
- 15. निष्कर्ष :** महात्मा गांधी एवं डॉ. बी. आर. अम्बेडकर आधुनिक भारत के दो ऐसे चिंतक हैं जिनकी विचारधाराएँ अनेक मुद्दों पर अलग-अलग दिखाई देती हैं, लेकिन सामाजिक न्याय, मानव गरिमा, समान अवसर और कमजोर वर्गों के उत्थान के व्यापक लक्ष्य में महत्वपूर्ण समानता दिखाई देती है। गांधी का आर्थिक चिंतन नैतिकता, स्वदेशी, ग्राम स्वराज, विकेंद्रीकरण, ट्रस्टीशिप और सर्वोदय पर आधारित था। वे ऐसी अर्थव्यवस्था चाहते थे जिसमें उत्पादन और उपभोग मनुष्य की आवश्यकताओं तथा सामाजिक कल्याण के अधीन हों। अम्बेडकर का आर्थिक चिंतन अधिक संस्थागत और अधिकार-आधारित था। वे शिक्षा, औद्योगीकरण, श्रमिक अधिकार, आर्थिक लोकतंत्र और राज्य की सक्रिय भूमिका को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के लिए आवश्यक मानते थे।
- आज भारत जिस समय विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, उस समय केवल तीव्र आर्थिक वृद्धि पर्याप्त नहीं है। विकास को रोजगारपरक, समावेशी, टिकाऊ और न्यायपूर्ण बनाना आवश्यक है। इस संदर्भ में गांधी और अम्बेडकर के विचारों को परस्पर विरोधी ध्रुवों के रूप में देखने के बजाय उनके पूरक पक्षों को पहचानना अधिक उपयोगी होगा।

गांधी हमें बताते हैं कि विकास का केंद्र स्थानीय समुदाय, नैतिकता और अंतिम व्यक्ति होना चाहिए; अम्बेडकर बताते हैं कि न्यायपूर्ण विकास के लिए अधिकार, संस्थाएँ, शिक्षा, औद्योगीकरण और सामाजिक सुरक्षा आवश्यक हैं। अतः एक संभावित भारतीय विकास मॉडल निम्न सूत्र पर आधारित हो सकता है:

“गांधी की आत्मनिर्भरता + अम्बेडकर का आर्थिक लोकतंत्र = समावेशी एवं न्यायपूर्ण विकसित भारत”

यही समन्वित दृष्टिकोण विकसित भारत @2047 को केवल आर्थिक रूप से शक्तिशाली ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और मानवीय राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकता है।

संदर्भ सूची :

1. Ambedkar, B. R. (1923). *The problem of the rupee: Its origin and its solution*. P. S. King & Son.
2. Ambedkar, B. R. (1925). *The evolution of provincial finance in British India: A study in the provincial decentralization of imperial finance*. P. S. King & Son.
3. Ambedkar, B. R. (1947). *States and minorities: What are their rights and how to secure them in the Constitution of free India*. Thacker & Co.
4. Begum, F., & Dehingia, P. (2025). *Ideological convergences and conflicts: A comparative analysis of Gandhi and Ambedkar*. International Journal of Social Science Research.
5. Chakrabarty, B. (2014). *Universal benefit: Gandhi's doctrine of trusteeship: A review article*. Modern Asian Studies, 49(2), 572–608. <https://doi.org/10.1017/S0026749X13000383>. Cambridge University Press
6. Chawda, S. (2025). *Constitutional morality as public economics: Ambedkar's blueprint for the Indian welfare state*. Research Review Journal of Social Science, 5(1). <https://doi.org/10.31305/rrjss.2025.v05.n01.038>
7. Dasgupta, A. K. (1996). *Gandhi's economic thought*. Routledge.
8. Darnal, A. (2023). *Social justice in India: A comparative study of Rawls and Ambedkar*. *Comparative Philosophy*, 14(1). [https://doi.org/10.31979/2151-6014\(2023\).140105](https://doi.org/10.31979/2151-6014(2023).140105). SJSU ScholarWorks
9. Daksh, & Shubham. (2025). *Ambedkar's inclusive social order and Gandhi's social harmony in addressing patriarchy and gender-based inequality*. Research Review Journal of Social Science, 5(2). <https://doi.org/10.31305/rrjss.2025.v05.n02.012>
10. Govindu, V. M., & Malghan, D. (2016). *The web of freedom: J. C. Kumarappa and Gandhi's struggle for economic justice*. Oxford University Press.
11. Ishii, K. (2001). *The socioeconomic thoughts of Mahatma Gandhi: As an origin of alternative development*. Review of Social Economy, 59(3), 297–312. <https://doi.org/10.1080/00346760110053914>
12. Kumar, A. (2019). *Economic thoughts of Mahatma Gandhi and B. R. Ambedkar: A comparative analysis*. International Journal of Engineering Science & Humanities.

13. Meena, H. K., & Dhayal, S. (2025). *A comparative study of economic thoughts: Dr. Ambedkar, Mahatma Gandhi, and Karl Marx*. International Journal for Multidisciplinary Research, 7(1). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i01.35380>
14. Sharvender. (2024). *Theorising caste and addressing education: A comparative study of Ambedkar and Gandhi*. ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts, 5(1). <https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.3969>
15. Sridevi, G. (Ed.). (2020). *Ambedkar's vision of economic development for India*. Routledge India.
16. Yoganandham, G., Usha, G., Varalakshmi, D., & Elanchezhian, G. (2025). *Economic thoughts of Dr. B. R. Ambedkar with reference to vision for socio-economic justice, equality, empowerment, nation-building and inclusive development in India—An assessment*. International Journal of Early Childhood Special Education, 17(3), 348–360. <https://doi.org/10.48047/intjecse/v17i3.27>
17. Gandhi, M. K. (1938). Hind Swaraj or Indian home rule. Navajivan Publishing House.
18. Gandhi, M. K. (1946). Village industries. Navajivan Publishing House.
19. Kumarappa, J. C. (1945). The economy of permanence. Sarva-Seva-Sangh Prakashan.
20. Sen, A. (2000). Development as freedom. Oxford University Press.

•